

फर्द अहकाम

ममंजर

बनाम बाबूलाल

म न्यायालय

स संख्या

154/2022

म संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	16/11/23	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब वीर/अब कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 26/12/23... को पेश हो।	
	26/12/23	पत्रावली पेश हुई। वकूलाब द्वारा कन्सोलेशन/कार्य स्थगित करने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 01/02/24 को पेश हो।	
	01/2/24	पत्रावली पेश हुई। P.O. साहब वीर/अब कार्य में व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नहीं की जा सकी। पत्रावली दिनांक 21/3/24... को पेश हो।	
	21/3/24	पत्रावली पेश हुई। वकील जार्जी/अप। पत्रावली इंटरजार तलबो हेतु दिनांक 7/5/24 को पेश हो।	
	7/5/24	पत्रावली पेश हुई। वकील जार्जी/अप। पत्रावली वास्ते व मूलवाद में प्रतिवादी/अपार्जी संख्या 2 लगा 12 के विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा चुकी है। पत्रावली वास्ते जवाब नं. अपार्जी संख्या 1 हेतु दिनांक 30/5/24 को पेश हो।	
	30/5/24	पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधिवक्ता एवं अपार्थी सं. ① के अधिवक्ता उपस्थित। अपार्थी सं. ① ने जवाब नं. 1 पेश नहीं करके प्रा. पत्र अध्यापी निषेधाज्ञा पर सीबी बदल करके हेतु	

फर्द अहकाम

नाम न्यायालय सहायक कलक्टर जिल्ला जि. जयपुर
 केस संख्या 154/2022

मनमर बनाम बाबूलाल

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		<p>ठिकेदार किया। अप्रार्थी सं 0 को जवाब देते हैं कि अवैध अवसर दिखे जाने पर भी जवाब प्रस्तुत नहीं किया। अतः अप्रार्थी सं 0 का जवाब बन्द किया जाता है। उभयपक्ष अधिवक्ता की मार्चना पत्र अस्थायी निषेधाज्ञा पर बहस सुनी गयी।</p> <p>पत्रावली पर उपलब्ध रिकार्ड का अवलोकन करने एवं उभयपक्ष अधिवक्ता की दौरान बहस जादिर तथ्यों पर मनन करने के उपरान्त उचित समझते हुए बादशाह आरजी खसरा न. 251, 253/1, 253/10, 253/2, 253/3, 253/4, 253/5, 253/6, 253/7, 253/8, 253/9, 295, 296/1, 296/2, 296/3, 375 स्थित ग्राम काशीपुरा प. ह. काशीपुरा तह. तूंग जि. जयपुर के संबंध में उभयपक्षों को जरूरी अस्थायी निषेधाज्ञा सं पाबन्द किया जाता है कि उभयपक्ष उक्त बादशाह आरजी पर ताफैसला वाद के मौके एवं रिकार्ड की मथा-दियारि वताये रखें।</p> <p>पत्रावली फेसल जुमाद होर नम्बर 2 करे है।</p>